न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3082/2026

CNR:–**UPSP010072662026**

तौसीफ पुत्र कल्लू, निवासी होली का प्लाट, गागलहेडी, थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर।

..... **विपक्षी**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **विपक्षी।**

मु०अ०सं०–205/2026
धारा–87,70(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना–को० देहात, जिला–सहारनपुर।

20.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **तौसीफ** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 205/2026, धारा–87,70(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना–को० देहात, जिला सहारनपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा के अन्तर्गत कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **अफसर पुत्र कल्लू** का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया एक विधवा महिला है। वादिया की नाबालिग लड़की पूजा उर्फ टोनी जिसकी उम्र 15 वर्ष है। वादिया दिनांक 11.05.2026 को किसी आवश्यक काम से शहर से बाहर गयी हुई थी, वादिया ने घर आकर देखा तो वादिया की नाबालिग पुत्री पूजा उर्फ टोनी व घर में रखे नकद तीस हजार रूपए गायब थे। जब वादिया ने आस–पास के लोगो से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी लड़की को तौसीफ पुत्र नामालूम व सुहैल पुत्र नामालूम निवासीगण गागलहेडी बहला–फुसलाकर मोटरसाईकिल पर साथ ले गये हैं। समय करीब 02.30 बजे वादिया के मोबाईल नं. 8126546100 पर विपक्षी के मोबाईल नं. 8006807577 से फोन आया कि तुम्हारी लड़की हमारे पास है, जिसे ढूंढने की कोशिश मत करना। वादिया फोन सुन कर काफी डरी व सहमी हुई है आज तक वादिया अपनी लड़का का इन्तजार करती रही तथा ढूंढती रही। जब नहीं मिली तो मुकदमा लिखाने आयी है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी है कि प्रार्थी को उक्त वाद में झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर न तो वादिया की लड़की का अपहरण किया गया है न ही उसके साथ बलात्कार की कोई घटना कारित की गयी। प्रार्थी को मौहल्ले की रंजिश के कारण वाद उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। वादिया द्वारा तहरीर में अपनी नाबालिग लड़की पूजा उर्फ टोनी के साथ घटना कारित किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि वादिया की लड़की का नाम पूजा है तथा टोनी अन्य लडकी है, जो आसाम की रहने वाली है। प्रार्थी द्वारा वादिया की लड़की के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की है। वादिया मुकदमा इधर–उधर से लड़कियों को लाकर

उनसे देह व्यापार कराती है तथा वादिया द्वारा टोनी नामक लड़की को भी देह व्यापार में लिप्त किया हुआ है और प्रार्थी से नाजायज धन ऐंठने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया गया है। प्रार्थी दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिया की पुत्री को बहला–फुसलाकर उसका व्यपहरण कर पीड़िता का सामूहिक बलात्कार करने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रस्तुत प्रकरण में बयान अंतर्गत धारा **180** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़िता द्वारा दिनांक 11.05.2026 को पीड़िता घर पर अकेले होने व तौसीफ व सुहैल द्वारा घर पर आने और पीड़िता को बाईक पर बैठाकर खेत में ले जाकर तौसीफ व सुहैल द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम/बलात्कार करने का कथन किया है। एवं बयान अंतर्गत धारा **183** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़िता द्वारा घर पर अकेली होने पर तौसीफ व सुहैल द्वारा घर पर आने, पीड़िता को बाईक पर बैठाकर कर खेत में ले जाकर तौसीफ व सुहैल द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम/बलात्कार करने का कथन किया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 20.05.2026 को किया गया है जिसमें पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाने का कथन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त एवं सहअभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन अनुसार पीड़िता नारी निकेतन में निवास कर रही है एवं साक्षी/पीड़िता को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कथित अपराध महिला के विरूद्ध एवं गम्भीर प्रकृति का है। मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना केस डायरी में संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **तौसीफ** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

जमानत आदेश की एक प्रति मेल व डाक से **जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर** को प्रेषित की जाये।

दिनांक 20.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम,
सहारनपुर।
(JO. Code.–UP3845)

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.07.21 16:33:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court